

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डौन जिला करौली

मुकदमा नं० 460/2021

तारीख रजू 25.11.2021

दावा बायत  
तकारमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मिशल आई0डी0 नम्बर 2021/518

उनवान

जीमल खों पुत्र चांद खों बगै0 जाति मुसलमान निवासी चुंगी नाका न. 5 खैरेटा मोड  
रुण्डी वाली मदरसा के पास तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

वादी09

बनाम

शफी पुत्र नूरा बगै0 जाति मुसलमान निवासी चौबे पाडा स्कूल नं० 8 तेलीपाडा  
हिण्डौनसिटी तहसील हिण्डौन जिला करौली।

—प्रतिवादी 12

| दिनांक   | फर्द अहकाम  |
|----------|---|
| 11.2021  | <p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">(अनूप सिंह)<br/>उपखण्ड अधिकारी<br/>हिण्डौन जिला करौली</p>    |
| 20/12/21 | <p>बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी...<br/>पेश है। गतानुसार दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p>  |
| 28/12/21 | <p>आज यह वाद पत्र वादीगण की ओर से श्री रामखिलाडी सैनी एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया जाकर पत्रावली दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p> <p>बकुलाय उपस्थित/पीठासीन अधिकारी...<br/>पेश है। गतानुसार दिनांक 20.12.2021 को पेश हो।</p> |

उपखण्ड अधिकारी  
हिण्डौन सिटी (करौली)